



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012020-215617
CG-DL-E-21012020-215617

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263]
No. 263]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 20, 2020/पौष 30, 1941
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 20, 2020/PAUSHA 30, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

का.आ. 274(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii), तारीख 14 नवंबर, 2005 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ.1596 (अ), का,उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को स्थानीय सीमाओं में उसके स्तंभ (3) में उनके सामने यथाविनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है,जिसमें प्रत्येक ऐसे अधिकारी सारणी के स्तंभ में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारिता वाले है, :-

सारणी

क्रम सं.	कार्यालय	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली, मुख्य सलाहकार (श्रम कल्याण), नई दिल्ली, सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सभी क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), मुख्य श्रम आयुक्त मुख्यालय, नई दिल्ली में तैनात सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) और अन्य सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)।	संपूर्ण भारत।
2.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), अजमेर और जयपुर, अजमेर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), अजमेर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	राजस्थान राज्य।
3.	अहमदाबाद क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), अहमदाबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), अहमदाबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	गुजरात राज्य और संघ राज्यक्षेत्र दादरा, नागर हवेली और दमण और दीव।
4.	आसनसोल क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) आसनसोल, सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), आसनसोल क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	पश्चिमी बंगाल राज्य में बर्दवान, वीरभूम, बांकुडा और पुरुलिया के सिविल जिले।
5.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), मुंबई और पुणे, सभी मुंबई क्षेत्र में सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), मुंबई क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	(i) महाराष्ट्र राज्य (नागपुर भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, जलगांव, चंद्रपुर, गडचिरोली, नांदेड, परभणी, यवतमाल, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, हिंगोली और वसीम के सिविल जिलों को छोड़कर,)। (ii) गोवा राज्य।
6.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भुवनेश्वर और राउरकेला, भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), भुवनेश्वर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	ओडिशा राज्य।
7.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बैंगलोर और बेल्लारी, बंगलौर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), बंगलौर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	कर्नाटक राज्य।
8.	कोलकाता क्षेत्र में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कोलकाता, कोलकाता क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	(i) पश्चिमी बंगाल राज्य (बर्दवान, वीरभूम, बांकुडा और पुरुलिया के सिविल जिलों को छोड़कर)। (ii) सिक्किम राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र।
9.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), चंडीगढ़ और जम्मू, चंडीगढ़ क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), चंडीगढ़ क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	(i) हिमाचल प्रदेश राज्य। (ii) हरियाणा राज्य। (iii) पंजाब राज्य। (iv) जम्मू-कश्मीर राज्य।

		(v) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र ।
10.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) कोचीन, कोचीन क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय)। कोचीन क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	(i) केरल राज्य। (ii) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र। (iii) पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में माहे।
11.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद और रांची, धनबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), धनबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	झारखंड राज्य के सिविल जिले, अर्थात् धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, छतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, देवघर, सरायकेला (खरसाणवा) और जामताड़ा।
12.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), गुवाहाटी, गुवाहाटी क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) गुवाहाटी क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)	असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य।
13.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद, हैदराबाद क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), हैदराबाद क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	आंध्र प्रदेश राज्य और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र में यानम का क्षेत्र।
14.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), चेन्नई, चेन्नई क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) चेन्नई क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ।	तमिलनाडु राज्य और संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी (यानम और माहे को छोड़कर) ।
15.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नागपुर, नागपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नागपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ।	नागपुर, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, बुलढाणा, जलगांव, चंद्रपुर, गडचिरोली, नांदेड़, परभणी, यवतमाल, उस्मानाबाद, लातूर, बीड, हिंगोली और वसीम राज्य के सिविल जिले।
16.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली, नई दिल्ली क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नई दिल्ली क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र।
17.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जबलपुर और भोपाल, जबलपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), जबलपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) ।	मध्य प्रदेश राज्य।
18.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कानपुर और लखनऊ, कानपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), कानपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	उत्तर प्रदेश राज्य (सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, बागपत, शामली और गौतमबुद्ध नगर के सिविल जिलों को छोड़कर) ।
19.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना, पटना क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), पटना क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	बिहार राज्य और झारखंड राज्य के गरवा, पलामू, लातेहार, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ के सिविल जिले हैं।

20.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), रायपुर, रायपुर क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), रायपुर क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय)।	छत्तीसगढ़ राज्य.
21.	क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), देहरादून और क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), नोएडा, देहरादून क्षेत्र में सभी सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय), देहरादून क्षेत्र में सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी।	उत्तराखंड राज्य और सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीपोखर, शाहजहांपुर, बदायूं, ज्योतिबाफुले नगर, रामपुर, बागपत, हापुड़, शामली और गौतमबुद्ध नगर के सिविल जिले।

[फा. सं. एस-36025/2/2005-एसएस -I]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2020

S.O. 274(E).— In exercise of the powers conferred by section 14 of the Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O.1596 (E), dated the 14th November, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), dated the 14th November, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column(2) of the table below to be the Inspectors for the purpose of the said Act for the area of jurisdiction as specified against them in column(3) thereof in the local limits with which each such officer having jurisdiction as specified in column of the Table:-

TABLE

Serial No.	Office	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, Chief Adviser (Labour Welfare), New Delhi, All Deputy Chief Labour Commissioners (Central), All Regional Chief Labour Commissioner (Central), All Assistant Labour Commissioners (Central), All Labour Enforcement Officers (Central), Posted at Chief Labour Commissioner's Headquarter, New Delhi, and All other Deputy Chief Labour Commissioners (Central).	Whole of India.
2.	Regional Labour Commissioner (Central), Ajmer and Jaipur, All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ajmer	State of Rajasthan.

	region, All Labour Enforcement Officers (Central) in the Ajmer region.	
3.	Regional Labour Commissioner (Central) in Ahmedabad region, All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Ahmedabad region, All Labour Enforcement Officers (Central) in the Ahmedabad region.	The State of Gujarat and the Union Territories of Dadra, Nagar Haveli and Daman and Diu.
4.	Regional Labour Commissioner (Central) Asansol, All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Asansol region, All Labour Enforcement Officers (Central) in the Asansol region.	The civil districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia in the state of West Bengal.
5.	Regional Labour Commissioner (Central), Mumbai and Pune, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Mumbai region, All Labour Enforcement Officers (Central) in the Mumbai region.	(i) The State of Maharashtra (excluding civil districts of Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgoan, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Beed, Hingoli, and Wasim). (ii) State of Goa.
6.	Regional Labour Commissioner (Central), Bhubaneshwar and Rourkela, All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Bhubaneshwar region, All Labour Enforcement Officers (Central) in the Bhubaneshwar region.	The State of Odisha.
7.	Regional Labour Commissioner (Central), Bangalore and Bellary, All Assistant Labour Commissioners (Central) in the Bangalore region, All Labour Enforcement Officers (Central) in the Bangalore region.	The State of Karnataka.
8.	Regional Labour Commissioner (Central, Kolkata, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Kolkata region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Kolkata region.	(i) The State of West Bengal (excluding the civil districts of Burdwan, Birbhum, Bankura and Purulia). (ii) The State of Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
9.	Regional Labour Commissioner (Central), Chandigarh and Jammu, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Chandigarh region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Chandigarh	(i) The State of Himachal Pradesh. (ii) The State of Haryana. (iii) The State of Punjab. (iv) The State of Jammu and Kashmir. (v) The Union Territory of

	region.	Chandigarh.
10.	Regional Labour Commissioner (Central) Cochin, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Cochin region. All Labour Enforcement Officers (Central), in Cochin region.	(i) The State of Kerala. (ii) The Union Territory of Lakshdweep. (iii) Mahe in the Union Territory of Pudducherry.
11.	Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad and Ranchi, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Dhanbad region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Dhanbad region.	The civil districts of the State Jharkhand, namely, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Kodarma, Ranchi, Lohardaga, Gumla, Simdega, Chatra, East Singhbhum, West Singhbhum, Giridih, Deoghar, Saraikela (Kharsanwa) and Jamtara.
12.	Regional Labour Commissioner (Central), Guwahati, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Guwahati region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Guwahati region	The State of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipur, Mizoram and Arunachal Pradesh.
13.	Regional Labour Commissioner (Central), Hyderabad, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Hyderabad region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Hyderabad region.	The State of Andhra Pradesh and the area of Yanam in the Union Territory of Pudducherry.
14.	Regional Labour Commissioner (Central), Chennai, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Chennai region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Chennai region.	The State of Tamil Nadu and the Union Territory of Pudducherry (except Yanam and Mahe).
15.	Regional Labour Commissioner (Central), Nagpur, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Nagpur region, All Labour Enforcement Officers (Central), in Nagpur Region.	The civil districts of the State of Maharashtra, namely, Nagpur, Bhandara, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Jalgaon, Chandrapur, Gadchiroli, Nanded, Parbhani, Yeotmal, Osmanabad, Latur, Beed, Hingoli and Wasim.
16.	Regional Labour Commissioner (Central), New Delhi, All Assistant Labour Commissioners (Central) in New Delhi region, All Labour Enforcement Officers (Central) in New Delhi region.	National Capital Territory of Delhi.
17.	Regional Labour Commissioner (Central), Jabalpur and Bhopal, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Jabalpur region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Jabalpur region.	The State of Madhya Pradesh.
18.	Regional Labour Commissioner (Central), Kanpur and Lucknow,	The State of Uttar Pradesh (excluding the civil districts of

	All Assistant Labour Commissioners (Central) in Kanpur region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Kanpur region.	Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Rampur, Baghpat, Shamli and Gautam Budh Nagar).
19.	Regional Labour Commissioner (Central), Patna, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Patna region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Patna region.	The State of Bihar and the civil districts of Garwa, Palamu, Latehar, Dumka, Godda, Sahibganj and Pakur in the State of Jharkhand.
20.	Regional Labour Commissioner (Central), Raipur, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Raipur region, All Labour Enforcement Officers (Central) in Raipur region.	The State of Chhattisgarh.
21.	Regional Labour Commissioner (Central), Dehradun and Regional Labour Commissioner (Central), Noida, All Assistant Labour Commissioners (Central) in Dehradun region, All Labour Enforcement Officers in Dehradun region.	The State of Uttarakhand and the civil districts of Saharanpur, Bijnore, Meerut, Ghaziabad, Bulandshahar, Muzaffarnagar, Bareilly, Moradabad, Pilibhit, Shahjahanpur, Badaun, Jyotibaphule Nagar, Rampur, Bhagpat, Hapur, Shamli and Gautam Budh Nagar.

[F. No. S-36025/2/2005-SS-I]
VIBHA BHALLA, Jt. Secy.